Complimentary Copy

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

श्री ओम बिरला

माननीय अध्यक्ष, लोक सभा
भारत

आवेदन पुस्तिका

श्री झाबर सिंह खर्रा

माननीय नगरीय विकास,
स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री,
राज. सरकार

श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार

कुन्द-कुन्द आवासीय योजना
(निर्मित आवास)

कुल आवास 302

आवेदन पत्र

विक्रय प्रारम्भ की दिनांक	2 जनवरी 2025
जमा करने की अंतिम दिनांक	3 फरवरी 2025

500/-

आवेदन पत्र के साथ

1. योजना में आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र (पुस्तिका) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है। पूर्ण फार्म निर्धारित पंजीयन राशि एवं प्रक्रिया शुल्क सहित जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/RTGS **सचिव, केडीए, कुन्द कुन्द** के नाम से आवेदन पुस्तिका में अंकित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा किये जा सकते है।

2. **आवेदन पत्र के साथ जमा होने वाले दस्तावेज :-**
   1. आधार कार्ड (स्वप्रमाणित प्रति)
   2. आवेदक अपने खाते का कैन्सिल चैक CTS 2010 अथवा पास बुक की प्रति संलग्न करें
   3. मूल निवास प्रमाण पत्र 4. स्व घोषणा पत्र (सलंग्न प्रारूप के साथ) 5. आय प्रमाण पत्र
   6. आरक्षित श्रेणी प्रमाण पत्र 7. पंजीयन एवं प्रक्रिया शुल्क बैंक ड्राफ्ट मय छायाप्रति

कुन्द-कुन्द आवासीय योजना बैंक एकाउण्ट विवरण

CENTRAL BANK OF INDIA
(DAV SCHOOL TALWANDI KOTA)

SECRETARY KDA KUND KUND

A/C No. 5705207330

IFSC CODE . CBIN0283261

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की कोटा शहर में स्थित शाखाऐं, जहां से आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा किये जा सकते है :-

BRANCH NAME & ADDRESS :-

- DAV SCHOOL TALWANDI KOTA, OPP. DAV SCHOOL TALWANDI
- CBI KOTA, JP CIRCLE PURNI SABJI MANDI KOTA
- GOVERDHANPURA PURA CIRCLE KOTA , JHALAWAR ROAD KOTA
- KUNHADI, NEAR VIJAVEER STADIUM KUNADI
- VIGYAN NAGAR KOTA, KALPATRU BULDING VIGAN NAGAR KOTA
- INDRAPRASTHA INDUST. AREA. KOTA
- BHAMASHAH KRISHI UPAJ MANDI ANNATPURA KOTA
- CENTRAL ACADEMY SCHOOL DADABARI MAIN ROAD KOTA
- RK PURAM, BALAJI MARKET RANGBARI ROAD KOTA
- RAJIV GHANDI NAGAR, CP 8, FRIENDS PARADISE, INDRA VIHAR KOTA
- NAYAKHEDA KOTA, LANDMARK CITY, NEAR ALLEN CAREER INST. KUNHADI KOTA

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा में बढ़ते शहरीकरण के कारण भूखण्डों/आवासों की विक्रय दर बहुत अधिक हो गई, जिससे कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए भूखण्ड़/आवास को क्रय करना कठिन हो गया है। इस कारण से ज्यादातर लोग कच्ची बस्तियों में अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर हो जाते है तथा मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते है। कमजोर आय वर्ग के लोगों की इस कठिनाई को महसूस करते हुये राज्य सरकार द्वारा कुन्द कुन्द आवासीय योजना (निर्मित आवास) के अन्तर्गत आवासों को उक्त वर्ग के लोगों के लिए पहुँच में लाने हेतु कुन्द-कुन्द आवासीय योजना बनाई गई है। इसी क्रम में कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा अल्प आय वर्ग के आवासों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है।

कुन्द -कुन्द आवासीय योजना में आवंटन हेतु अल्प आय के 302 (LIG) आवास (आय वर्ग 3 से 6 लाख प्रतिवर्ष हेतु) उपलब्ध है, जिनकी संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है। आवासों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जायेगा। जिसमें राज्य सरकार के नियमानुसार विभिन्न वर्गो के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आवेदन पुस्तिका में आवेदन की शर्ते एवं आवास की लागत आदि बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है।

शुभकामनाओं सहित ।

सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण,	आयुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण,	अध्यक्ष, कोटा विकास प्राधिकरण,

Complimentary Copy

कुन्द-कुन्द (LIG) आवासीय योजना, नान्ता कोटा

1. योजना स्थल के समीपस्थ सुविधाएं :-

1. नयापुरा बस स्टैण्ड
2. चम्बल रिवर फ्रंट एवं कोटा बैराज
3. लैण्डमार्क कोचिंग क्षेत्र
4. एम.बी.एस. हॉस्पिटल नयापुरा
5. अभेडा बायोलॉजिकल पार्क
6. प्रस्तावित नवीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट

2. आय वर्ग पात्रता एवं उपलब्ध आवासों का विवरण :-

कुन्द-कुन्द आवासीय योजना में अल्प आय वर्ग (LIG) हेतु पात्रता, उपलब्ध आवासों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	आवास की साईज	पात्रता हेतु वार्षिक आय	उपलब्ध आवासों की संख्या	आवास की अनुमानित कीमत
1.	4.5 X 12 मी. 54.00 वर्गमीटर	3 से 6 लाख तक	302	12,50,000/-

नोट :- कॉर्नर आवास के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देय होगी।

3. पंजीकरण एवं प्रक्रिया शुल्क :-

क्र.सं.	अल्प आय वर्ग	प्रक्रिया शुल्क	पंजीयन राशि	कुल देय राशि
1.	LIG	2000/- (Non Refundable)	1,25,000/-	1,27,000/-

4. आवेदन पत्र प्राप्ति एवं जमा निर्देश :-

1. आवेदन पत्र सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, कोटा के किसी भी शाखा से 500/- रूपए शुल्क जमा कर निर्धारित अवधि में प्राप्त एवं जमा किया जा सकता है।

2. आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रकार से प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि सचिव, केडीए कुन्द कुन्द के नाम से देय डी.डी./ई.सी.एस. द्वारा जमा किया जा सकता है।

3. डी.डी./पे ऑर्डर/ईसीएस स्लिप के पीछे आवेदक अपना नाम, चालान/आवेदन पत्र संख्या एवं मोबाईल नम्बर अवश्य अंकित करें।

4. योजना में सफल आवेदकों द्वारा जमा करवाया गया प्रक्रिया शुल्क आवास की लागत में शामिल नहीं होगा एवं न ही लौटाया जावेगा। पंजीकरण राशि को आवास की लागत में समायोजित कर लिया जावेगा। पंजीकरण राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

5. असफल आवेदकों को जमा प्रक्रिया शुल्क नहीं लौटाया जावेगा, केवल पंजीकरण राशि लौटायी जायेगी।

6. आवंटन के समय उपलब्धता के अनुसार आवासों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

5. आवेदक की पात्रता :-

1. राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवास आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/मतदाता कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें आवेदक का नाम व पता अंकित हो, संलग्न करें।
2. आवास आवंटन के लिये आवेदक का कोटा एवं राजस्थान के किसी भी शहर (जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक हो) में स्वयं का अथवा परिवार के किसी आश्रित सदस्य का आंशिक अथवा पूर्ण अधिकृत लीज या फ्री होल्ड आधार पर आवास/भूखण्ड नहीं होना चाहिए। इस हेतु स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।
3. आवेदक की आयु, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
4. आरक्षण हेतु संबंधित वर्ग का वांछित प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न करें।
5. आवेदक नियमित आय स्व घोषणा पत्र में अंकित करें।
6. नौकरी की स्थिति में कार्यालय/संस्था का मूल प्रमाण पत्र संलग्न करें। व्यवसाय करने की स्थिति में व्यवसाय का नाम एवं पता अंकित करें।

6. आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका के द्वितीय पृष्ठ पर उल्लेखित सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से प्राप्त कर अंतिम दिनांक तक उक्त बैंक में जमा करवाये जा सकते है।
2. आवेदन पत्र में निर्धारित प्रारूप में समस्त जानकारियां शुद्ध हिन्दी/अंग्रेजी में एवं स्पष्ट अक्षरों में लिखा जावें।
3. आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर तथा निर्धारित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या एवं बैंक का विवरण अवश्य लिखें।
4. आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का स्व प्रमाणित फोटो लगावें।
5. आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् पते में परिवर्तन के आलावा कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
6. आवेदन पत्र के समस्त कॉलमों की पूर्ति करें जो कॉलम लागू होता हो उसे स्पष्ट रूप से सही ( ) का चिन्ह् अंकित करें।
7. आरक्षण वर्ग हेतु निर्धारित कॉलम में अपनी श्रेणी अंकित करें।

7. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज :-

1. पंजीयन राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का बैंक ड्राफ्ट छायाप्रति सहित
2. बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति/कैंसिल चैंक
3. स्व घोषणा पत्र
4. आय प्रमाण पत्र
5. आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स
6. राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र
7. आरक्षित वर्ग में आवेदन हेतु नियत प्रमाण पत्र

8. विशेष अनुदेश :-

1. आवेदक अपने खाते का एक कैन्सिल्ड चैक (cancelled cheque CTS 2010) अथवा बैंक पास बुक प्रति सलंग्न करें, जिसमें बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code हो।

2. आवेदक अपना मोबाईल नं0, ई-मेंल आईडी (यदि कोई हो)अवश्य दे।

3. आवेदक का रिहायशी पता दिया जाना आवश्यक है।

4. पत्राचार के लिए पत्र व्यवहार का पता पिन कोड सहित उल्लेख करें।

5. पंजीकरण राशि मय प्रक्रिया शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट **सचिव, केडीए कुन्द-कुन्द कोटा** के पक्ष में देय होना चाहिए।

   अथवा

   पंजीकरण राशि मय प्रक्रिया शुल्क RTGS के माध्यम से (चालान फार्म में उल्लेखित विवरण के अनुसार) जमा करते हुये आवेदन पत्र मय चालान (UTR No. का उल्लेख करते हुए) आवेदन पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के पीछे उल्लेखित सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में जमा कराया जा सकेगा।

9. सामान्य शर्ते :-

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से रू. 500/- भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है एवं भरे हुए आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में बैंक में जमा किये जा सकेंगे।
2. योजना में आवास के लिए आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क 2000/- एवं निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ आवेदन पत्र निर्धारित बैंक में जमा करानी होगी। कुल पंजीयन राशि एक मुश्त जमा करानी होगी।
3. राज्य सरकार एवं कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/नियम योजना के आवास आवंटन पर भी लागू होंगे।
4. आवेदनकर्ता को आवेदन में मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य है।
5. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम हो या बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही एव खाता चालू स्थिति में हो। असफल आवेदक का बैंक खाता सही नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर **KDA** की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. संयुक्त नाम से आवेदन मान्य नही है लेकिन संयुक्त नाम के खाते में प्रथम नाम के आवेदक के आवेदन को मान्य किया जा सकेगा।
7. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड आवेदक के बैंक खाते में किया जाएगा।
8. लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर, नाम एवं आय ग्रुप/वरीयता में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र देने पर पंजीकरण राशि की 10 प्रतिशत राशि की कटौति करते हुए शेष राशि लौटाई जाएगी।

9. लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित सम्पूर्ण राशि आवंटन -मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में चैक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS/NEFT द्वारा सचिव, केडीए कुन्द-कुन्द के नाम से कोटा शहर स्थित सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में (आवेदन पुस्तिका में दी गई किसी भी बैंक शाखा में) संबंधित योजना के खाते में शेष सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी।

10. आवास की सम्पूर्ण राशि जमा होने के बाद लीज डीड आवश्यक रूप से निष्पादित करानी होगी।

11. आवंटित आवास का हस्तानान्तरण आवंटन तिथि से 5 वर्ष तक प्रचलित आरक्षित दर की 10 प्रतिशत शुल्क लेकर तथा 5 वर्ष पश्चात् 10 वर्ष तक प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत शुल्क वसूल कर नियमानुसार विक्रय की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

12. आवास का कब्जा प्राधिकरण द्वारा, कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस में संबंधित कनिष्ठ अभियंता से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

13. आवंटन में राजस्थान नगरीय सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम-1974 के प्रावधान एवं समय-समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश प्रभावी होंगे।

14. ''आवंटित आवास केवल''आवासीय'' उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। आवास का विभाजन/पुनर्गठन प्रचलित ''भवन विनियम'' के प्रावधानानुसार मान्य होगा।

15. राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा, निर्धारित आवंटन की शर्तें आवेदक को मान्य होगी।

16. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, कोटा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

17. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार कोटा ही होगा।

10. आवेदक की सकल वार्षिक आय एवं वर्ग :-

1. आवेदक के स्वयं/परिवार की सकल वार्षिक आय (पति,पत्नि एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की गणना आवेदक/परिवार की सभी स्त्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी।

2. ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते है, उन्हें ITR/ Form-16 तथा पेन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण में अंकित करना होगा।

11. आवास आवंटन में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण :

1. आवेदक आवेदन की पात्रता के अनुरूप निम्नलिखित में से किसी एक निर्धारित आरक्षित श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है :-

<table>
<tr><th>केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी</th><th>अनु. जनजाति</th><th>अनु. जाति</th><th>ट्रांसजेण्डर व्यक्ति</th><th>अधीस्वीकृत पत्रकार</th><th colspan="3">सैनिक/अर्द्धसैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)</th><th>अनारक्षित श्रेणी</th></tr>
<tr><td rowspan="2">10%</td><td rowspan="2">6%</td><td rowspan="2">9%</td><td rowspan="2">2%</td><td rowspan="2">2%</td><td colspan="3">10%</td><td rowspan="2">61%</td></tr>
<tr><td>शहीद सैनिक की विधवा एवं आश्रित (अ)</td><td>सैनिक विकलांग (ब)</td><td>अन्य सैनिक (स)</td></tr>
</table>

कुल (आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के) भूखण्डों के 5 प्रतिशत शारीरिक दिव्यांग के लिए तथा 10 प्रतिशत बेसहारा भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए होगा।

2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण श्रेणी के आरक्षण का निर्धारण प्रतिशत के आधार पर पूर्ण आवास को ध्यान में रखते हुए किया गया है। किसी भी आरक्षित वर्ग में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर, उस वर्ग के शेष आवासों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों को किया जाएगा।

3. केन्द्र/राजस्थान सरकार/राज्य के स्थानीय निकायों एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र /गत माह की पे-स्लिप प्रस्तुत करना होगा।

4. राजस्थान की अनु.जाति/अनु. जनजाति के आवेदकों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. दिव्यांगजन (विकलांग) व्यक्तियों को राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

6. अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अधिस्वीकृत पत्रकार का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

7. सैनिक वर्ग में भारत की थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आई.सी.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ. अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नि/पुत्र एवं उस पर आश्रित सम्मिलित है।

8. आवेदक, जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है, उस परिवार से मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।

9. सैनिक वर्ग में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में, उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।

10. सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./केडीए की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य सैनिक के आरक्षित कोटे के भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

11. अन्य सैनिक (कार्यरत/सेवानिवृत) के परिवार से परिवार का केवल एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

12. सैनिक कोटे में आरक्षण हेतु आवेदक को परिशिष्ट-V के प्रारूपानुसार 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

13. सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी सम्मिलित है) के लिए आरक्षित आवास का आवंटन निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा :-

(अ) उन सैनिकों (आर्मी, बी.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.) की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुए हुई हो।

(ब) विकलांग सैनिक (आर्मी .बी.एस.एफ.सी.आई.एस.एफ एवं सीआरपीएफ)

(स) अन्य सैनिक (आर्मी .बी.एस.एफ.सी.आई.एस.एफ एवं सीआरपीएफ)

उपर्युक्त के लिए सम्बन्धित श्रेणी का प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

आवास की आवंटन प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्रों की समीक्षा /परीक्षण उपरान्त प्रक्रिया शुल्क जमा कराने के आधार पर पात्रता के सत्यापन पश्चात् लॉटरी द्वारा पात्र आवेदकों को आवास आवंटन किया जायेगा।

2. सफल आवेदकों को आवास की कीमत जमा कराने हेतु आवंटन पत्र/मांग पत्र जारी किया जायेगा। निर्धारित अवधि में डिमाण्ड राशि जमा नहीं कराने पर असमर्थ रहे डिफालटर आवेदकों का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

3. लॉटरी में असफल आवंटियों को प्रक्रिया शुल्क काटकर पंजीकरण राशि बिना ब्याज लौटा दी जावेगी।

4. आवंटन पत्र डाक द्वारा/शिविर आयोजित करके वितरित किये जावेंगे।

आवास का आवंटन जहां है, जैसा है " के आधार पर किया जायेगा।

12. आवंटित आवास की लागत का भुगतान :-

1. सफल आवेदकों को पंजीकरण राशि समायोजन के पश्चात् आवास की लागत की शेष देय राशि रू. 11,25,000/- एवं अन्य देय राशि आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस की अवधि में एक मुश्त जमा करवानी होगी। तत्पश्चात् आवंटी नियमानुसार अगले 60 दिन तक अर्थात् आवंटन पत्र जारी करने के दिनांक से 90 दिवस में नियमानुसार राशि ब्याज सहित राशि जमा करा सकेगा। आवंटन पत्र की तिथि से 90 दिवस में राशि मय ब्याज जमा नहीं होने पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा जमा पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।

2. आवेदन पत्र के साथ जमा पंजीकरण राशि बिना ब्याज आवास की कीमत में समायोजित कर ली जावेगी शेष भुगतान योग्य राशि नियमानुसार स्थानीय डी.डी./RTGS से जमा कराई जा सकेगी। निर्धारित तिथि तक केडीए खाते में राशि जमा कराने का दायित्व स्वयं आवंटी का होगा।

परिशिष्ट-I
स्वप्रमाणित

स्व घोषणा पत्र
(समस्त आवेदकों के लिए)

स्व प्रमाणित फोटो

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....
.... आयु....................निवासी ....
....
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैने ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग के अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जाएंगे मैं पेश कर दूंगा/कर दूंगी।

(2) यह कि मैने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (केन्द्र/राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु. जाति/अनु.जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जाएंगे, मै प्रस्तुत कर दूंगा/कर दूंगी।

(3) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

(4) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षो में कोई भूखण्ड/ प्लॉट/मकान मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम)आवंटित नहीं हुआ है।

दिनाकं :   हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी से और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाहीं की जा सकेगी।

दिनांकः   आवेदक के हस्ताक्षर

3. समस्त ड्राफ्ट/RTGS, सचिव, केडीए कोटा कुन्द-कुन्द के नाम से जमा कराई जा सकती है। स्थानीय डीडी/पे ऑर्डर के पीछे आवेदक का नाम, फार्म संख्या एवं श्रेणी आवश्यक रूप से अंकित करें।

4. सफल आवेदक द्वारा आवास पर ऋण चाहने पर केडीए द्वारा बैंक/सरकारी वित्तीय संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर दिया जावेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये आवंटी को संबंधित बैंक/सरकारी वित्तीय संस्था का पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. अन्य महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें :-

1. आय वर्ग अनुसार परिवार में पति-पत्नि एवं आश्रित में से कोई एक आवेदक ही आवास आवंटन की पात्रता रखेगा। यदि पति-पत्नि दोनों को ही आवास आवंटन हो गया तो एक आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

2. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होगी। अन्यथा आवेंदन निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

4. आवंटी को आवास के छत का अधिकार सहित आवास आवंटित किया जावेगा। आवास पर नवीन निर्माण के लिए प्राधिकरण से निर्माण स्वीकृति लेनी होगी।

5. आवास का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में आवास में निवास अनिवार्य होगा। अन्यथा आवास का आवंटन निरस्त कर राशि जब्त कर ली जावेगी।

6. आवास में पट्टाधारिता अधिकारों का आवंटन लॉटरी पद्धति के अनुसार राजस्थान नगर भूमि निस्तारण नियम 1974/राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निर्वर्तन) (संशोधन) नियम 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत 99 वर्षीय पट्टेदारी लीज के आधार पर किया जावेगा।

7. लॉटरी आम जनता के समक्ष निकाली जायेगी, जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवायी जावेगी। लॉटरी निकाले जाने के पूर्व पूर्ण/अपूर्ण आवेदकों की सूची प्राधिकरण के सूचना पट्ट पर चस्पा की जावेगी। अपूर्ण आवेदनों को लॉटरी में सम्मिलित नहीं

आय प्रमाण पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.. पुत्र/पत्नि/पुत्री ....जाति............ आयु...............निवासी ....तहसील...............................जिला...........................राज्य..... .... की स्वयं, पति/पत्नि एवं आश्रित की सकल वार्षिक आय रू... प्रतिवर्ष है एवं मेरा पैन (Permanenet Account Number)... है।

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी से और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाहीं की जा सकेगी।

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण पत्र (निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..
पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री...इस कम्पनी /फर्म में ....
.पद पर कार्यरत है। इनकी सकल वार्षिक आय रू..प्रतिवर्ष है।

कम्पनी/फर्म प्रमाणितकर्ता
के हस्ताक्षर मय मोहर

दिनांक :
स्थान :

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी से और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाहीं की जा सकेगी।

आय प्रमाण पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..
पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....इस विभाग में ....पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के उपक्रम का नियमित कर्मचारी है। इनकी सकल वार्षिक आय रू..प्रतिवर्ष है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम का नाम

दिनांक :

परिशिष्ट

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण -पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..
पुत्र/पत्नि/पुत्री ....निवासी ....
....जिला.......................... सम्भाग.......................... राज्य..........................
जाति के सदस्य है जो किं अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं ।

हस्ताक्षर

तहसीलदार

(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

परिशिष्ट-IV

सैनिक /सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु
(आय प्रमाण-पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

यह प्रमाणित किया जाता है कि ....
(रैंक) ....(नाम)..
(नम्बर)..

(अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु/सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/ सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत है। इनकी मासिक आय रू..प्रतिमाह है।

(ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत हुए तथा सेवानिवृति के समय इनकी वार्षिक आय रू..प्रतिवर्ष थी।

(स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गई थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री.. है। इनकी पति की मृत्यु के समय मासिक आय रू.. प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी/सचिव,
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :
दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

परिशिष्ट-V

सैनिक (ज़िसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु ।

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री ....
आयु .... निवासी..
....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं, कि

(1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूं। परिवार के किसी भी सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।

(2) यह कि मेरे पिता/पति सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व. पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/.. .... ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी से और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाहीं की जा सकेगी।

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर, सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री ....
आयु .... निवासी..
....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं, कि

(1) यह कि मै सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों के आवंटन की पात्रता रखता हूं।

(2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन /प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) यह है कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नि/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती कुमारी.. द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र /प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत/प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावें।

(4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी से और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाहीं की जा सकेगी।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–VII

विशेष योग्य जन प्रमाण –पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.. पुत्र/पत्नि/पुत्री ....निवासी ....की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से विशेष योग्य जन (Specially abled) है।

स्थान :
दिनांक :

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

परिशिष्ट–VIII

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण –पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.. पुत्र/पत्नि/पुत्री ....निवासी ....तहसील......................................जिला.. अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान :
दिनांक :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

कुन्द कुन्द आवासीय योजना का साईट प्लान

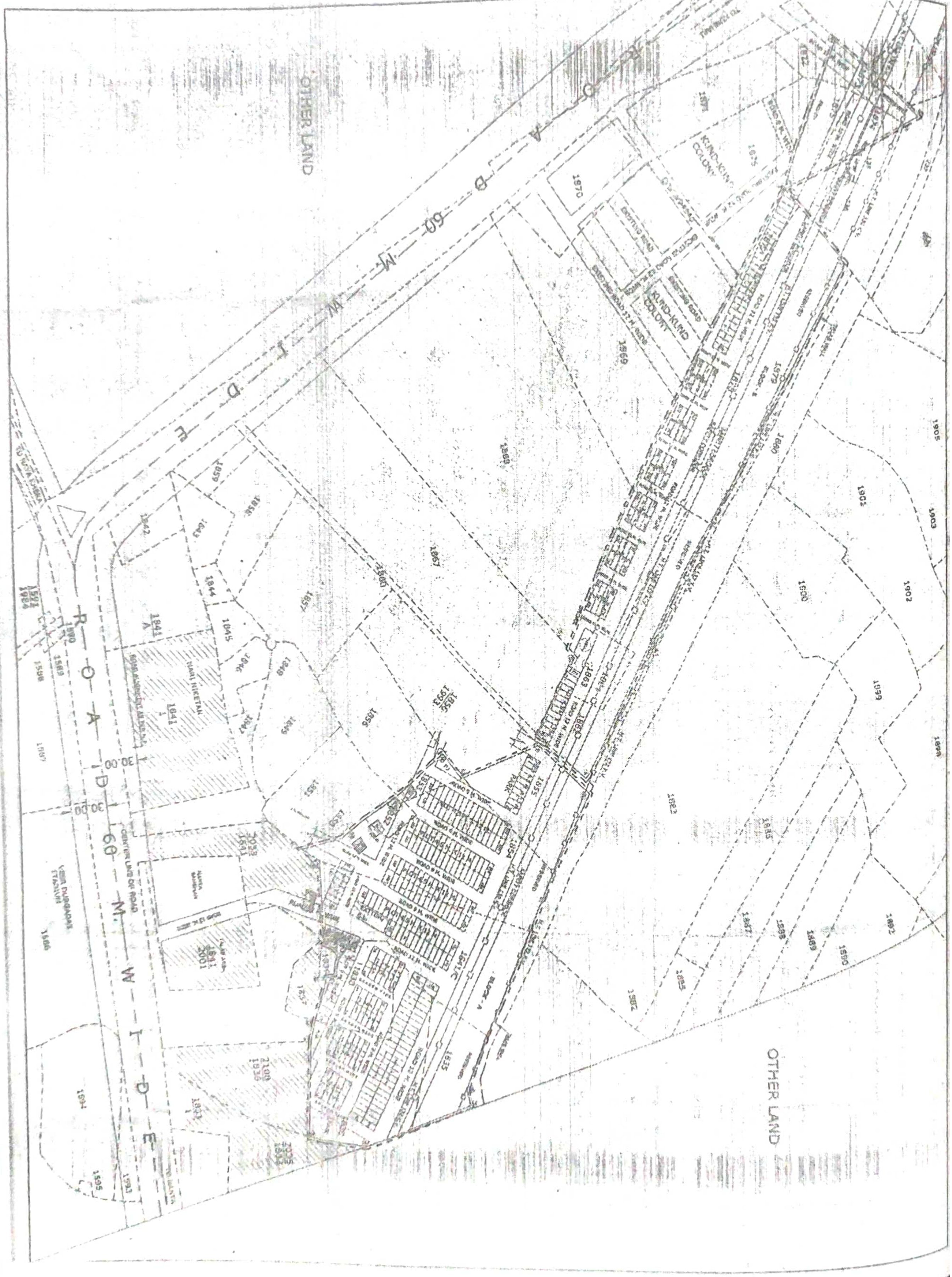

कुन्द-कुन्द आवासीय योजना में निर्मित आवास

निर्मित आवास मानचित्र

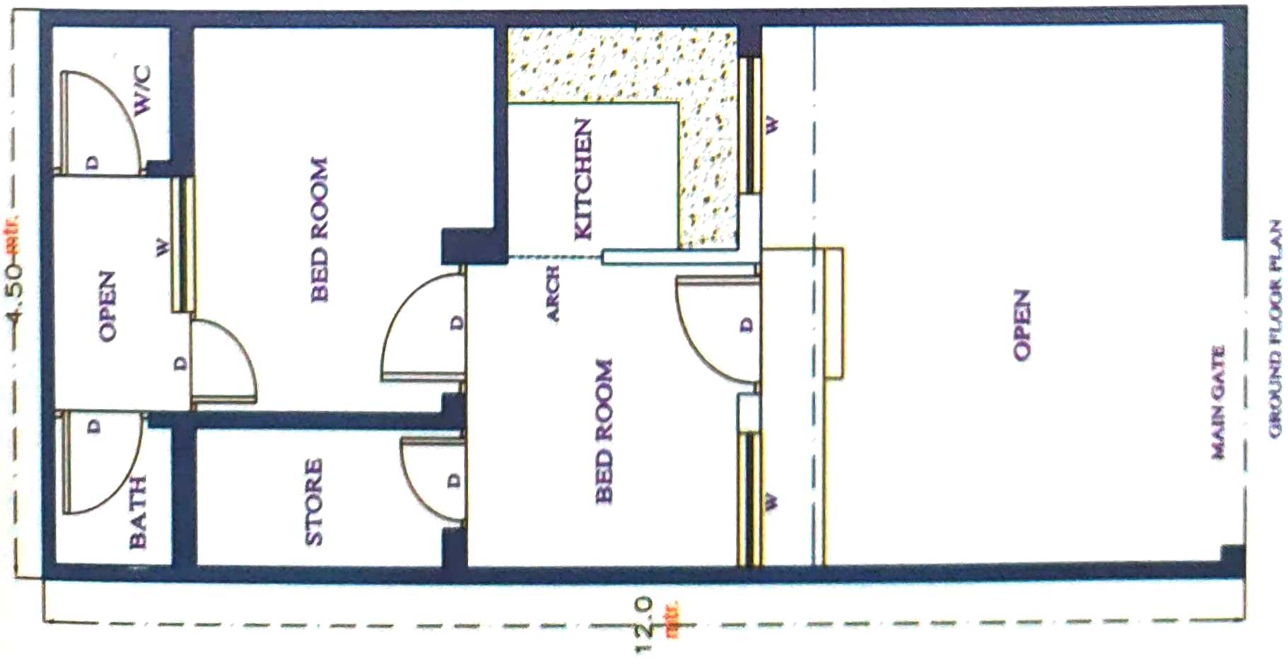

कुन्द कुन्द आवासीय योजना का

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक

आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि :- 03.02.2025

आवेदन पत्र

कुन्द-कुन्द आवासीय योजना
(निर्मित आवास आवंटन छत सहित)

नवीनतम स्व प्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में):..

आवेदक का नाम (अंग्रेजी में, कैपिटल लेटर) ....

2. आवेदक के पिता/पति का नाम (हिन्दी में) :..

आवेदक के पिता/पति का नाम (अंग्रेजी में, कैपिटल लेटर) :..

3. आवेदक का स्थाई पता...

....

4. बैंक खाता संख्या..मोबाईल/टेलिफोन नं.............

....बैंक का नाम...............................IFSC Code.............

स्थायी खाता संख्या (PAN NUMBER ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. आधार कार्ड नं. ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

6. आवेदक का व्यवसाय या नौकरी क्या हैं (कोष्ठक में लिखे) ☐

7. आवेदक निम्न जिस वर्ग में आवास चाहता हैं उस वर्ग को कोष्ठक में लिखें ☐

एस.सी./एस.टी./सैनिक/अर्द्धसैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है), /राज्य सरकार अथवा अर्द्ध राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कर्मचारी/अधिस्वीकृत पत्रकार/ट्रांसजेण्डर/शारीरिक निःशक्तजन/बेसहारा, भूमिहीन एकल महिला/ सामान्य कोई भी वर्ग कोष्ठक में अंकित नही करने की स्थिति में आवेदन सामान्य वर्ग में माना जावेगा।

8. आवेदित निर्मित आवास आय वर्ग (LIG) साईज **4.5 X 12 = 54 वर्ग मीटर**

9. प्रक्रिया शुल्क 2000/- एवं पंजीयन राशि 1,25,000/- का जमा विवरण :-

(1) चालान नं. ....(2) दिनांक ....

(2) राशि .... (3) डी डी/आर.टी.जी.एस.नम्बर ....

10. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र कृपया सही ( ) का चिन्ह अंकित करें। :-

☐ आधार कार्ड, ☐ PAN CARD, ☐ D.D. ☐ कैंसिल चैक ☐ RTGS SLIP

☐ आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र, ☐ निवास प्रमाण पत्र, ☐ स्वघोषणा पत्र

11. मैने आवेदन पत्र विवरणिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है मुझे वर्णित शर्ते स्वीकार है।

12. मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवंटित किये गये आवास का आवंटन निरस्त कर प्राधिकरण द्वारा राशि जब्त की जा सकेगी व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

13. समय – समय पर राज्य सरकार/कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णयों को मानने के लिए मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

14. आवेदन हेतु प्रस्तुत सभी सूचनाएें सही व प्रमाणित हैं।

दिनांकः स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर

Complimantry Copy

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये

नाम व पता

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद **कुन्द कुन्द आवासीय योजना (निर्मित आवास आवंटन छत सहित)** क्रमांक :

नाम..

....

पताः...

....

चालान राशि : ....

बैंक व शाखा का नाम : ....शाखा.......................

डी.डी./UTR नं. ....

जमा करने की तिथि..

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया A/C 5705207330
IFSC Code : CBIN0283261

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

प्रथम प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं. दिनांक...............
नाम..
पिता/पति का नाम..
....
पता..
....

कुन्द कुन्द आवासीय योजना
(निर्मित आवास छत सहित)

विवरण	रुपये
LIG आवास 4.5 X 12 = 54 वर्ग मीटर	
पंजीयन राशि	1,25,000/-
प्रक्रिया शुल्क	2,000/-
डी.डी. नं./RTGS No. ---------------------- दिनांक......../......./.......	
योग :-	1,27,000/-

अक्षरे रुपये......एक लाख सत्ताईस हजार रूपए मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया A/C 5705207330
IFSC Code : CBIN0283261

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

द्वितीय प्रति
(बैंक द्वारा स्टेटमेन्ट के साथ के.डी.ए. को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक...............
नाम..
पिता/पति का नाम..
....
पता..
....

कुन्द कुन्द आवासीय योजना
(निर्मित आवास छत सहित)

विवरण	रुपये
LIG आवास 4.5 X 12 = 54 वर्ग मीटर	
पंजीयन राशि	1,25,000/-
प्रक्रिया शुल्क	2,000/-
डी.डी. नं./RTGS No. ---------------------- दिनांक......../......./.......	
योग :-	1,27,000/-

अक्षरे रुपये......एक लाख सत्ताईस हजार रूपए मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया A/C 5705207330
IFSC Code : CBIN0283261

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

तृतीय प्रति
(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक...............
नाम..
पिता/पति का नाम..
....
पता..
....

कुन्द कुन्द आवासीय योजना
(निर्मित आवास छत सहित)

विवरण	रुपये
LIG आवास 4.5 X 12 = 54 वर्ग मीटर	
पंजीयन राशि	1,25,000/-
प्रक्रिया शुल्क	2,000/-
डी.डी. नं./RTGS No. ---------------------- दिनांक......../......./.......	
योग :-	1,27,000/-

अक्षरे रुपये......एक लाख सत्ताईस हजार रूपए मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया A/C 5705207330
IFSC Code : CBIN0283261

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

चतुर्थ प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक...............
नाम..
पिता/पति का नाम..
....
पता..
....

कुन्द कुन्द आवासीय योजना
(निर्मित आवास छत सहित)

विवरण	रुपये
LIG आवास 4.5 X 12 = 54 वर्ग मीटर	
पंजीयन राशि	1,25,000/-
प्रक्रिया शुल्क	2,000/-
डी.डी. नं./RTGS No. ---------------------- दिनांक......../......./.......	
योग :-	1,27,000/-

अक्षरे रुपये......एक लाख सत्ताईस हजार रूपए मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

Complimentary Copy
Complimentary Copy

www.centralbankofi...
7693958938, 8385953350

नया घर और नयी कार आओ करें सपने साकार.

Buy your Dream Home.

Cent HOME Loan

ROI 8.35%*

- आकर्षक ब्याज दर
- त्वरित प्रसंस्करण
- कोई पूर्व–भुगतान प्रभार नहीं
- आसान शर्तें

Drive your Dream Car.

ROI 8.60%*

Cent VEHICLE Loan

- Attractive rate of interest
- Quick processing
- No pre-payment charges
- easy terms

CENT QUEEN

A DEFINING STEP TOWARDS WOMEN EMPOWERMENT | महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम

- SB Account exclusively for women aged between 18 and 65 years
- Freedom from charges. (Nil Charges)
- Personal Accidental Death Insurance up to Rs. 20.00 Lakh
- High End benefits associated with a Premium RuPay Select Debit Card like complimentary Health Check-up, Spa/Salon Services, RuPay Lounge Program, et
- For more details, Contact your nearest Central Bank of India Branch

T & C Apply*

Cent Salary Account

Elevate / Empower / Esteem

Benefits :

- Zero initial deposit
- Auto sweep facility
- Personal accidental cover up to 1 crore
- Free cheque book
- Free debit card
- Emergency loan facility
- Free locker operation unlimited
- Processing fees concession - upto 100%
- Free SMS charges

7693958938, 8385953356

www.centralbankofindia.co.in | Follow us on Centralbankofindia Toll Free No : 1800-22-1911/1800-30-30

किशोर सागर तालाब में स्थित जग मंदिर पैलेस

माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्रीमान् ओम बिरला जी द्वारा शम्भूपुरा ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट नक्शे का अवलोकन करते हुए।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

Ph. : 0744 2500539

kotauit2014@gmail.com

KDA Kota Website - http://lsg.urban.rajasthan.gov.in/KDA/#